Reservation Policy of Rani Durgavati University

Rani Durgavati Vishwavidyalaya

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

Saraswati Vihar, Pachpedi, Jabalpur-482001 (M.P.) INDIA

सरस्वती विहार, पचपेढ़ी, जबलपुर–482001 (म.प्र.) भारत

NAAC Accredited 'B' Grade University

Website: www.rdunijbpin.org

Preface

Rani Durgawati University ensures safeguarding the interest of the oppressed, economically disadvantaged and minorities, through implementation of the reservation policy of the state government of M.P. In order to empower the historically persecuted communities and to give them equal opportunities for participation in the society, the university reserves seats for them in various programs, as well as facilitates a smooth process for easy access to the financial aid provided by the government under scholarship scheme.

Kapil Deo Mishra

Vice Chancellor, RDVV, Jabalpur

Reservation Policy

Rani Durgavati University adheres to the reservation policy of the State Government of Madhya Pradesh regarding admission of students to various programmes offered by the University. Objective of providing reservations to the Scheduled Castes(SCS), Scheduled Tribes (STS), Other Backward Classes (OBCs), Economically weaker section, and Disabled persons is not only to give equal opportunity to study them but basically aims at empowering them and ensuring their participation in all fields of society. Currently the reservation as per Madhya Pradesh government rule is as follows:

1.	Scheduled Caste	:	16%
2.	Scheduled Tribe	:	20%
3.	Other Backward Class	:	14%
4.	Disabled Category	:	03%
5.	Economically weaker section	:	10%
6.	Dependent of freedom Fighter, Armed Forces, Ex Serviceman	:	03%

Out of all available seats in all categories 30 percent seats will be reserved for Girl students. In postgraduate level 1 percent seats are reserved for the NCC "C" Certificate holders.

प्रवेश नियम

आरक्षणः–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

- आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी / ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

- अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

- पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका कमांक डब्ल्यू. पी. 5901 / 2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र / पुत्रियों एवं पौत्र / पौत्रियों / नातियों / नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत

सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे । इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों / अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा–

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित ।

2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित ।

3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।

4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।

5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना ६ वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख ।

6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल ।

7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।

8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS & Economically Weaker Section):– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि /शा. – 5'अ' / 2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

- एन.सी.सी. सी प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

- सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/ विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे ।

- आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :—

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा / अजा / अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई–प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी।

- ऐसे अशासकीय महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त है तथा वह ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत करने होंगे –

  (अ) शासन द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

  (ब) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संबद्धता प्रमाण पत्र।

  (स) अल्पसंख्यक संस्था / महाविद्यालय होने का मान्य प्रमाण पत्र ।

  (द) रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीबद्ध अद्यतन गवर्निंग बॉडी / प्रबन्धन सूची का प्रमाण पत्र ।

(य) विगत वर्ष में प्रवेशित अल्पसंख्यक श्रेणी / गैर अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्यावार / संकायवार एकजाई जानकारी।

(र) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त रखने हेतु संस्था का आवेदन ।

- क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अल्पसंख्यक महाविद्यालय की प्रोफाईल का सत्यापन कंडिका 28.11.1 में उल्लेखित 6 प्रमाण पत्र / प्रपत्रों की ऑनलाईन अपलोड प्रतियों के आधार पर किया जाएगा।

- कंडिका 8.4 अनुसार सी. एल. सी. चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे ।

- समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

- ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

Admission Guidelines

Reservation

According to the reservation policy of the Madhya Pradesh government :-

- 16 and 20 percent seats will be reserved for, Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) applicants respectively. The categories of these two classes will be interchangeable.

- 14 percent seats will be reserved for applicants belonging to backward classes (except creamy layer).

- Sons/daughters and grandsons/granddaughters of freedom fighters, sons/daughters of soldiers who have attained martyrdom or become permanently disabled in the line of duty in the Indian Army and dependents of former and serving army personnel. 03 percent seats will be reserved for the children of the Central Armed Police Force and for the applicants of the disabled category of these categories jointly, by giving a surcharge of 10 percent marks to the applicants of the disabled category, the combined merit of three classes has Abren determined. Provided that this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. The priority order of personnel/officers of the Indian Armed Forces will be as follows:-

  1. Widow of the martyr and their dependents during the war. .

  2. Permanently disabled, serving soldiers and their dependents during the war.

3. Dependents of martyrs in service during peace.

4. Permanently disabled persons and their dependents during service in peace.

5. Dependents of serving or ex-servicemen awarded with the following gallantry medals, Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Best War Service Medal, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Uttam Seva Medal, Vir Chakra, Shaurya Chakra, Yudh Seva Medal, Army, Navy / Air Mention in Sena Medal Letters.

6. Dependents of Ex-Servicemen.

7. Dependents of serving soldiers.

- 3 percent seats will be reserved for the applicants of the disabled category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. Disabled persons will be given a relaxation of 5% in the qualifying marks at the time of admission.

- NCC For applicants who have passed 'C' certificate, 1 percent of the sanctioned seats in the college will be reserved at the postgraduate level.

- Out of the available seats in all categories, 30 percent seats will be reserved for girl students.

- Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh and its subordinate offices, Commissioner's Office, all concerned cadres for the wards of officers and employees working in higher education, principals, professors, librarians, sports officers, registrars and third and fourth class employees working in

government colleges. Out of the available seats, 5% of the seats will be kept reserved.

- If a reserved category candidate appears in the general category/open competition in the merit list as per rules due to getting more marks, then the reserved category seats will remain unaffected. But if such a student belongs to any other cadre like freedom fighters etc.. then the seat of the concerned cadre will be considered as filled in that specific reserved category. Remaining seats of the concerned specific cadre will be filled as per eligibility.

Admission to Minority Status Colleges:

Minority institutions will have to register on the portal of the Department of Higher Education (www.mphigherducation.nic.in) and enter the information about the courses run by the respective university, their seat number, fee etc. in their institution on the portal, and verification of these courses. The concerned mapping will have to be done by the college by the stipulated date.

There will be no restriction of reservation of SC/SC/OBC in minority institutions. Minority institutions will have to enter the information of the students admitted with them in the online module available on the department's admission portal (www.epravesh.nic.in). This process must be completed by the last date fixed for reporting as per the online admission process schedule, Minority Institutions on the Higher Education.

- Such non-govemment colleges which have the status of minority colleges, and want to apply for joining the offline admission process, then they will have to compulsorily submit the

application along with the following documents to the Higher Education Department on the prescribed dates

A. Updated no-objection certificate issued by the government for the current session.

B. Updated affiliation certificate issued by the University for the current session.

C. Valid certificate of being a minority institution/college.

D. Certificate of updated Governing Body Management list registered in Registrar Firm and Society office.

E. Institution wise unitary information of minority category/ non-minority category students admitted in the previous year.

F. Application of the institution to keep it free from the online admission process.

- Mapping colleges, while verifying the profile of the concerned minority college, will match the original copies of 6 documents mentioned in 12.9.1 and upload them on the portal along with the signature and Seal of the verification officer.

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

Rani Durgavati Vishwavidyalaya

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

Saraswati Vihar, Pachpedi, Jabalpur-482001 (M.P.) INDIA

सरस्वती विहार, पचपेढ़ी, जबलपुर–482001 (म.प्र.) भारत

NAAC Accredited 'B' Grade University

Website: www.rdunijbpin.org